O/o E.D. (EITC)
CSPDCL Raipur
Receipt No. 2374
Date 13 SEP 2023
AGM (IT)
SE (O)/SE
EE
Section

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)
सी.आई.एन:— U40108CT2003SGC015820
कार्या :— कार्यपालक निदेशक (मा0सं0)

क्रमांक :— 01—01/अ.प्र.क./14/2023/2726 रायपुर, दिनांक 12 SEP 2023

(अपील प्रकरण कमांक 14/2023)

डॉ. श्रीमती स्वाति तिवारी आवेदिका
रायपुर

विरूद्ध

श्री पंकज सिंह परमार उत्तरवादी
जनसूचना अधिकारी

—:: आदेश ::—
(दिनांक 12/09/2023 को पारित)

आवेदिका डॉ. श्रीमती स्वाति तिवारी, प्रबंधक (वित्त/लेखा), रायपुर ने यह,अपील जनसूचना अधिकारी सह उप महाप्रबंधक (मा.सं.)—दो, छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि, रायपुर के निर्णय से व्यथित होकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 19(1) के अंतर्गत प्रस्तुत की है।

(2) — प्रकरण से संबंधित तथ्य सारणीबद्ध रूप में निम्नानुसार है :—

(I)	सूचनाधिकार के अंतर्गत आवेदिका द्वारा चाही गई जानकारी/दस्तावेज :—	(1) After issue of order of court in WPS 738/2019 in 14-07-2022 copy of all note sheets initiated by HR department such as - (a) Note Sheet for obtaining approval from higher authorities for issuing the promotion order of Rajesh Tanti, K Manoj, Swati Tiwari and Pragati Oak, (b) For taking legal advice by the legal department /any other advocate on the case, (2) Copy of action taken in regard to review the DPC conducted in the May 2021 in connection with the directives given by the Hon'ble High Court vide their order dtd. 14-07-2022, (3) All/Any correspondence made by the company related to promotion of Rajesh Tanti, K Manoj, Swati Tiwari and Pragati Oak,	
(II)	जनसूचना अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध आवेदिका की अपील व कारण :—	जनसूचना अधिकारी द्वारा वांछित दस्तावेज उपलब्ध नहीं करायी गई है। अतः जानकारी उपलब्ध करायी जाए।	
(iii)	अपील की सुनवाई तिथि :	निर्धारित तिथि	कार्यवाही विवरण :—
		23.08.2023	जनसूचना अधिकारी एवं आवेदिका उपस्थित हुए। दोनों के तर्क/कथन सुनें गए। अतएव अपील में सुनवाई की कार्यवाही सम्पन्न हुई।
(IV)	सूचनाधिकार के अंतर्गत जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रकरण में की गयी कार्यवाही तथा तर्क/कथन :—		पत्र कमांक 3872 दिनांक 24.07.2023 के माध्यम से आवेदिका को निर्धारित समयावधि में अवगत कराया गया है कि रिट याचिका (एस) क्रमांक 738/2019 का अंतिम विनिश्चय माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा किया जाना प्रतीक्षित है। अतएव याचिका के सम्पूर्ण निराकरण तक सूचनाधिकार के अंतर्गत जानकारी/दस्तावेज उपलब्ध कराया जाना विधि सम्मत नहीं होगा।

		सूचनाधिकार के अंतर्गत न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण में सूचना दिये जाने को प्रतिषिद्ध किया गया है।

3) – उल्लेखित तथ्यों के दृष्टिगत जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रकरण में निर्धारित समयांतर्गत कार्यवाही किया गया है।

आवेदिका का अपील तर्क / कथन कि वांछित दस्तावेज स्वयं के पदोन्नति से संबंधित है। याचिका (एस) कमांक 738 / 2019 में अंतिम विनिश्चय माननीय छ0 ग0 उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा किया जा चुका है। याचिका कमांक 1038 / 2023 में माननीय न्यायालय द्वारा वर्तमान में कोई आदेश नहीं जारी किया गया है, किन्तु वादी एवं प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है। साथ हीं WPS 273/2019 में दिनांक 10.04.2023 को पारित आदेश में WPS 1038/2023 को WPS 273/2019 के साथ संलग्न कर दिया गया है। आवेदिका चूंकि निर्धारित अर्हता पूर्ण करने के बावजूद उप महाप्रबंधक (वित्त) के पद पर पदोन्नति से वंचित है। अतः याचिका कमांक 738 / 2019 में माननीय न्यायालय का अंतिम निर्णय आने के बाद कार्यालय द्वारा प्रकरण में की गई कार्यवाही के संबंध में दस्तावेज की मांग की गई है।

(4) – प्रकरण के अवलोकन व उभय पक्ष के तर्क / कथन अनुसार याचिका (एस) कमांक 738 / 2019 में माननीय उच्च न्यायालय का अंतिम निर्णय आ चुका है। माननीय न्यायालय में आवेदिका की कोई याचिका लंबित होने के आधार पर ही वांछित दस्तावेज की प्रति देने से इंकार करना उचित नहीं है। वांछित सूचना को किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा अभिव्यक्त रूप से निषिद्ध नहीं किया गया है और न ही उसके प्रकटन से न्यायालय की अवमानना जैसी कोई स्थिति निर्मित होगी। अतः आवेदिका को दस्तावेज उपलब्ध कराया जाना न्याय संगत होगा।

सुनवाई के दौरान प्रकरण में आवेदिका द्वारा वांछित दस्तावेज के संबंध में तर्कसंगत आधार प्रस्तुत किये गए। अतएव जनसूचना अधिकारी का कृत कार्यवाही पूर्णतः न्यायसंगत नहीं होने के कारण प्रकरण में हस्तक्षेप किया जाना उचित होगा।

उल्लेखित तथ्यों के आधार पर आवेदिका का अपील स्वीकार करते हुए जन सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि याचिका कमांक 738 / 2019, में माननीय न्यायालय के निर्णय उपरांत प्रकरण में जो कार्यवाही की गई है तत्संबंधी दस्तावेज की प्रति आवेदिका को अपील आदेश जारी होने के 10 दिवस के भीतर निःशुल्क उपलब्ध करायी जाए।

उक्त निर्देश के दृष्टिगत अपील समाप्त कर, नस्तीबद्ध किया जाता है।

12/9/23

(अशोक कुमार वर्मा)
अपीलीय अधिकारी
सह कार्यपालक निदेशक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष कमांक– 0771–2574700

प्रतिलिपि :–(1) जनसूचना अधिकारी सह उप महाप्रबंधक (मा0सं0)– दो, छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि.,रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(2) डॉ. श्रीमती स्वाति तिवारी, प्रबंधक (वित्त / लेखा), रायपुर ।

(3) कार्यपालक निदेशक (EITC), छ.ग.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लिमि.,रायपुर – उक्त आदेश को कंपनी के वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

इस आदेश के विरूद्ध आवेदिका चाहें तो छ0 ग0 सूचना आयोग में द्वितीय अपील आवेदन निम्नांकित पते पर, इस आदेश के प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकतें है।

पता :– सचिव, छ0 ग0 राज्य सूचना आयोग, नवा रायपुर, अटल नगर